यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला परिवीक्षा अधिकारी, देहरादून, उत्तराखंड** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

यह कार्यालय जिला परिवीक्षा अधिकारी, देहरादून, उत्तराखंड के माह 09/2018 से 06/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय त्यागी, श्री मुकेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री एसआर मीणा, व. लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 21.7.2020 से 30.7.2020 तक श्री पुष्कर, व. लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः**इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री विनीत निगम, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक द्वारा श्री राजबहादुर,लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे दिनांक 4.9.2018 से 11.9.2018 तक संपादित की गयी जिसमे 05/2012 से 08/2018 के अभिलेखो की जांच की गयी थी।वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2018से 06/2020तक के लेखा अभिलेखों की जांच संपादित की गयी।
2. (i)**इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**-विभिन्न क्षेत्रोंसे संबन्धित नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से महिलान्मुख सरोकार को मुख्यधारा मे जोड़कर महिला व बाल अधिकारों के बारें मे जागरूकता का विकास करके तथा उनके सम्पूर्ण विकास हेतु उन्हे संस्थागत एवं कानूनी समर्थन प्रदान करके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। विभाग द्वारा महिलाओं एवं बाल के विकास, देखभाल, संरक्षण व कल्याण हेतु संचालित किए जा रहे कतिपय अभिनव कार्यक्रम/योजनाओं का सुचारु रूप से क्रियान्वित, निरीक्षण एवं अनुश्रवण किया जाना है। कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र उत्तराखंड के गढ़वाल मण्डल के देहरादून जिला के सम्पूर्ण क्षेत्र है।

(ii)(अ)लेखापरीक्षा अवधिका बजट आबंटन एवं व्यय (राज्य सैक्टर) की स्थिति निम्नवत हैः

(₹`लाख में)

वर्ष	योजना का नाम/लेखाशीर्ष) (महिला कल्याण विभाग	आवंटन	व्यय	समर्पण/बचत
2017-18	2235,2215,4235	2732.44	2615.32	117.12
2018-19	2235,2215	3156.32	2773.87	382.45
2019-20	2235,2215,4235	3023.89	3131.12	-107.23
2020-21	2235	1032.06	920.62	111.44

(6/20)				

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं (Child Protection Services Schemes) के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम/लेखाशीर्ष**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**आवंटन**	**योग**	**व्यय**	**अंतिम अवशेष (बैंक में)**
2017-18	CPS	8.03	115.15	123.18	80.06	43.12
2018-19	CPS	43.12	82.60	125.72	82.08	43.64
2019-20	CPS	43.64	305.65	349.29	173.74	175.55
2020-21 (6/20)	CPS	175.55	-	175.55	24.68	150.87

(ii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य श्रोत राज्य सरकार/केंद्र सरकारहै। स्थापना एवं गैर स्थापना व्यय/योजनांतरगत व्यय को सम्मलित करते हुए इकाई 'बी' श्रेणी की है।

3 (i) विभाग का संगठनात्मक (उत्तराखंड शासन) ढांचा निम्नवत हैः-

1. शासनस्तर पर: सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, अनु सचिव, अनुभाग अधिकारी
2. निदेशालय स्तर पर: निदेशक, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, विधि अधिकारी, समूह ग एवं घ कर्मचारी
3. जनपद स्तर पर: जिला परिवीक्षा अधिकारी, समूह ग एवं घ कर्मचारी
4. संस्था स्तर पर: अधिक्षिका/अधीक्षक, मनोवैज्ञानिक, केस वर्कर, समूह ग एवं घ कर्मचारी

(ii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः-** लेखापरीक्षा में**कार्यालय जिला परिवीक्षा अधिकारी, देहरादून, उत्तराखंड**के 9/2018 से 6/2020 की अवधि को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन**कार्यालय जिला परिवीक्षा अधिकारी, देहरादून, उत्तराखंड** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। इस लेखापरीक्षा मे माह3/2019 & 12/2019 (Treasury head-BM 5) एवं 3/2019 & 02/2020 (GoI funded CPS Scheme) को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय की धनराशि के आधार पर किया गया।

(iii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा- 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो-ब

प्रस्तर:1 बिना कोटेशन के धनराशि ` 2.47 लाख के अनुरक्षण कार्य कराया जाना।

उत्तराखण्डअधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्रस्तर संख्या 47 मे यह स्पष्ट किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक अवसर पर कम से कम तीन पंजीकृत ठेकेदारो से कोटेशन प्राप्त कर रु 2.50 लाख तक के निर्माण/अनुरक्षण कार्य बिना निविदा आमंत्रित कियेकार्यादेश पर कराया जा सकता है।

कार्यालय के आच्छादित लेखापरीक्षा अवधि की निर्माण/अनुरक्षण संबंधी अभिलेखो के जांच मे पाया गया कि निम्नलिखित निर्माण अनुरक्षन कार्य ` 25,000/-से अधिक होने के पश्चात भी कार्य संपादित करने हेतु तीन पंजीकृत ठेकेदारो से कोटेशन प्राप्त नहीं किया गया एवं अनुरक्षण कार्य को कार्यादेश के माध्यम से कराया गया। जो नियमतः त्रुटिपूर्ण था:-

वित्तीय वर्ष	मद-अनुरक्षण-29	II-C संख्या	ट्रेजरी वाउचर संख्या	धनराशि(`)
2018-19	अनुरक्षण-29	260	B-22350027 dt. 11.2.19	28845/-
2018-19	अनुरक्षण-29	463	B-22350219 dt. 18.3.19	41010/-
2019-20	अनुरक्षण-29	121	B-22-91 dt. 19.9.19	28272/-
2019-20	अनुरक्षण-29	200	B-22350084 dt. 21.10.19	25000/-
2019-20	अनुरक्षण-29	341	B-22350036 dt. 15.1.20	33500/-
2019-20	अनुरक्षण-29	413	B-22350090 dt. 20.2.20	50423/-
2019-20	अनुरक्षण-29	460	B-22350050 dt. 10.3.20	40037/-
			योग	247087/-

उक्त अनुरक्षण के कार्य संपादित कराने के लिए अधिप्राप्ति के नियम के अनुसार तीन पंजीकृत ठेकेदारो से बिना कोटेशन प्राप्त किए कार्य कराये जाने के प्रकरण को इंगित किए जाने पर कार्यालय ने उत्तर दिया कि भविष्य मे नियमों का अनुपालन किया जाएगा।

उक्त प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर:2- अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के विपरीत बिना निविदा किए धनराशि `178.77लाख का अनियमित व्यय ।

उत्तराखण्डअधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्रस्तर संख्या 3 मे यह स्पष्ट किया गया है कि समस्त अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं मे पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षता की जाए ताकि व्यय की जाने वाली धनराशि का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। समस्त अधिप्राप्तियाँ निविदा के माध्यम से की जाएगी एवं सभी भागीदारों को बोलियाँ लगाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। समान्यतः न्यूनतम दर वाली निविदा स्वीकार की जाए अन्यथा उन कारणों को सर्वथा अभिलिखित किया जाए जिनके कारण न्यूनतम दर वाली निविदा अस्वीकृत की गई है। प्रस्तर 10 के अनुसार ` 25,00,000/-से अधिक की अनुमानित लागत की सामाग्री की अधिप्राप्ति के लिए कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रों मे विज्ञापन द्वारा निविदा आमंत्रित की जाए। निविदा पृच्छा राज्य सरकार/विभाग के वैबसाइट पर प्रदर्शित की जाए तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की वैबसाइट से भी संबद्ध होनी चाहिए।

कार्यालय के अधिप्राप्ति संबंधी अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि राजकीय नारी निकेतन केदारपुरम, देहरादून मे निवासरत मानसिक रूप से विक्षिप्त संवासिनियों की समुचित देखरेख, भरण-पोषण एवं उपचार के लिए निदेशक, समाज कल्याण विभाग (जनवरी 2019 से महिला कल्याण विभाग), उत्तराखंड, देहरादून एवं परियोजना निदेशक, हरबर्टपुर क्रिश्चियन हॉस्पिटल सोसाइटी, देहरादून के साथ वर्ष 2016-17 मे एक अनुबंधपत्र (MoU) हस्ताक्षरित किया गया। प्रारम्भ मे यह अनुबंध 01 वर्ष के लिए किया गया था एवं बाद मे अनुबंध की समाप्ति होने पर आगामी एक एक प्रत्येक वर्ष के लिए (2017-18, 2018-19, 2019-20) इसे बढ़ाया गया एवं प्रति वर्ष के लिए परियोजना की लागत बढ़ाते हुए नए MoUविभाग एवं सोसाइटी के द्वारा हस्ताक्षरित किए गए। लेखापरीक्षा तिथि वर्ष 2020-21 के लिए नए MoU Covid-19 के कारण हस्ताक्षरित नहीं हुए थे एवं अग्रिम आदेश तक इसे विस्तारित कर दिया गया था एवं अधिप्राप्ति/सेवाएँ प्राप्त किए जा रहे थे। इस अधिप्राप्ति एवं सेवाएँ का व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	मानक मद	आवंटन (`)	व्यय (`)	अवशेष/समर्पण (`)
2016-17	39-औषधि एवं रसायन	150000/-	76956/-	73044/-
2017-18	39-औषधि एवं रसायन	67000/-	66451/-	549/-
	41-भोजन व्यय	600000/-	600000/-	-

			666451/-	
2018-19	20- सहायक अनुदान/अंशदान (वेतन आदि)	650000/-	346725/-	303275/-
	41-भोजन व्यय	5000000/-	4758000/-	242000/-
			5104725/-	
2019-20	20- सहायक अनुदान/अंशदान (वेतन आदि)	9501494/-	6278019/-	3223475/-
	39-औषधि एवं रसायन	200000/-	200000/-	
	41-भोजन व्यय	5859050/-	5551000/-	308050/-
			12029019/-	

उक्त व्यय विवरण के अनुसार विभाग के द्वारा हरबर्टपुर क्रिश्चियन हॉस्पिटल सोसाइटी, देहरादून को अधिप्राप्ति के लिए वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 & 2019-20 मे क्रमशः ` 76956/-, 666451/-, 5104725/- & 12029019/- का भुगतान किया गया। इस प्रकार अभीतक कुल धनराशि ` **178.77**लाख का भुगतान किया गया। यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 मे लेखापरीक्षा तिथि तक किसी मद मे भुगतान नहीं किया गया है जबकि सेवा प्रदाता इकाई से सेवाएँ ली जा रही है जिसका भुगतान बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने संवीक्षा मे पाया कि इस अधिप्राप्ति हेतु उक्त उल्लिखित अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के नियमों का पालन न करते हुए बिना निविदा आमंत्रित किए ही समाज कल्याण विभाग (जनवरी 2019 से महिला कल्याण विभाग), उत्तराखंड, देहरादून एवं परियोजना निदेशक, हरबर्टपुर क्रिश्चियन हॉस्पिटल सोसाइटी, देहरादून के मध्य अनुबंध (MoU) किया गया एवं बिना निविदा किए ही विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष हरबर्टपुर क्रिश्चियन हॉस्पिटल सोसाइटी, देहरादून से सेवाएँ की अधिप्राप्ति के लिए अनुबंध को नवीनीकरण (वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21) किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त प्रकरण को इंगित किए जाने पर कार्यालय के द्वारा उत्तर दिया गया कि यह अनुबंध सीधे महानिदेशालय एवं शासन से किया गया एवं नवीनीकरण आदि का निर्णय भी निदेशालय/शासन स्तर से ही लिया जाता है। निदेशालय को इस संबंध मे पत्र प्रेषित कर सूचना प्राप्त किया जाएगा और महालेखाकर लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

प्रकरण को प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग -2 (ब)

प्रस्तर3:- शासकीय मानदंड के तहत राजकीय बाल गृह का संचालन नही किए जाने का प्रकरण पाया जाना ।

जिला परिवीक्षा अधिकारी देहरादून कार्यालय के अधीन संचालित संस्थानो की लेखा परीक्षा मे ज्ञात हुआ की जनपद मे 'राजकीय बाल गृह' समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से संचालित की जा रही है । योजना के अंतर्गत प्राप्त धनराशि समेकित बाल संरक्षण योजना की गाइडलाइन्स मे निर्धारित शर्तो के अंतर्गत व्यय किए जाने प्रावधान है। इस संबंध मे इकाई द्वारा प्रस्तुत अभिलेखो से जानकारी हुई कि विभाग के पत्रांक:-1609/सं॰ कं॰/एस॰एन॰डी॰/ शिशु सदन देहारादून /2007-08, दिनांक:- 07.01.2008 के क्रम मे देहरादून के केदारपुरम मे 0-10 वर्ष आयु वर्ग के निराश्रित बालक/बालिकाओ को पैतृक वातावरण दिये जाने हेतु 50 बच्चो कि क्षमता वाले राजकीय बाल गृह स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया जिसमे शिशुओ का लालन -पालन, नि : शुल्क भोजन, वस्त्र,बिस्तर, चिकित्सा,शिक्षा, खेल-कूद, पाठ्य सामग्री एवं आवासीय सुविधाए उपलब्ध होंगी। भारत सरकार द्वारा राजकीय बाल गृह के संचालन के लिए जारी दिशानिर्देश तथा बाल गृह संचालन के लिए आवश्यक मानव संसाधन की वर्णित मुख्य बाते निमन्वत पायी गयी -

- ❖ Separate facilities for children in the age group of 0-5 years with appropriate facilities for infants.
- ❖ Only such persons trained in the juvenile justice and having the knowledge of care and protection of children should be recruited for the posts of superintendent/Project manager, Probation officer and child welfare/protection officer of these institutions.
- ❖ If untrained persons are holding these posts, the state government or the officer in charge should provide for in-service training to them. The training programme should include issues relating to child rights, child psychology handling children sensitivity, juvenile justice, counselling life skills training and delinquency and problem behaviour.

क्रम सं	निर्धारित न्यूनतम मानदंड (50 की क्षमता के लिए)	बाल गृह की मौजूदा स्थिति
1.	02 क्लास रूम	01 उपलब्ध
2.	पुस्तकालय	अनुपलब्ध
3.	परामर्श और मार्गदर्शन कक्ष	अनुपलब्ध
4.	कार्यशाला	अनुपलब्ध

विगत 03 वर्षो मे खाली पदो की स्थिति

क्रम सं	पद	स्वीकृति	तैनाती
1.	House mother	01	शून्य
2।	Counsellor	01	शून्य

उपरोक्त आंकड़े(उपलब्ध अभिलेखो के अनुसार)दर्शाते है कि बाल गृह मे अपर्याप्त क्लास रूम ,पुस्तकालयपरामर्श कक्ष तथा कार्यशाला का अभाव था तथा House mother तथा Counsellor का पद कई वर्षो से रिक्त पड़ा था । गाइडलाइन के अनुसार बाल गृह मे निवास करने वाले 0-5 वर्ष तक के बच्चो की निगरानी रिपोर्ट पृथक से तैयार नही की जा रही थी। दिशानिर्देश के अनुसार बच्चों को कराये गये शैक्षणिक भ्रमण तथा संबन्धित क्रियाकलापों तथा उनके अभिलेखो के रख रखाव की कमी पायी गयी । बाल गृह मे कार्यशाला तथा परामर्श कक्ष का उपलब्ध न होना दर्शाता है कि दिशा निर्देश के अनुसार childcaringतथा childpsychology के दिशा मे उपलब्ध मानव संसाधन प्रयोजन कि पूर्ति नही कर रहे थे ।

इस और इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया है कि भवन मे विभाग के निर्देश के अनुसार दो संस्था संचालित है। गृह माता का पद भरे जाने हेतु उत्तराखंड शासकीय स्तर पर प्रक्रिया गतिमान है ।

इकाई का उत्तर संतोषजनक नही पाया गया, 50 बच्चो की क्षमता वाले वर्ष 2008 मे तैयार बाल गृह का अब तक मान दंड पूरा नही किया जाना, गृहमाता तथा काउन्सलर का पद न भरा जाना,शिशुओ का पृथक से निगरानी रिपोर्ट न तैयार किया जाना तथा उपलब्ध

मानव संसाधन के लिए पर्याप्त कार्यशालाओ का आयौजन न करना निराश्रित बालक/बालिकाओ को पैतृक वातावरण दिये जाने हेतु संस्थागत कमियाँ पायी गयी ।

अत: प्रकरण प्रकाश में पाया जाता हैं।

भाग-2(ब)

प्रस्तर:-4 पेंशन की राशि का भुगतान शासकीय दिशानिर्देश के अनुरूप नहीं पाया जाना।

(क)कार्यालयजिला परिवीक्षा अधिकारी देहरादून के अंतर्गत रखरखाव किए गए परित्यक्ता पेंशन पत्रावली की जांच की गई। अधिसूचना संख्या 1138 /XVII-2/2015-10(01)/2019 , दिनांक 04 अगस्त 2015 के क्रम में परित्यक्ता विवाहित महिला, मानसिक रूप से विकृत /विक्षिप्त पति अथवा पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं हेतु भरण पोषण अनुदान योजना (संशोधन) नियमावली 2015 के अंतर्गत जनपद में 500 लाभार्थियों को दी जाने वाली 'परित्यक्ता पेंशन' की नमूना जांच के रूप में कुछ प्रकरणों को लिया गया तथा उनके व्यय की नियमितता की निम्नवत गाइडलाइंस के मुख्य बिंदुओं के परिपेक्ष में जांच की गई:-

पात्रता:-

- महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम हो किंतु शादी के बाद पति द्वारा छोड़े जाने का कम से कम 1 वर्ष व्यतीत हो गया हो।
- यदि भरण पोषण अनुदान स्वीकृत होने के उपरांत पति अथवा पत्नी उपचार के बाद अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम हो जाता है तो अनुदान की सुविधा को समाप्त कर दिया जाएगा।
- ऐसे पति अथवा पत्नी यदि 60 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेती है एवं वह वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्रता में आती है तो उसे वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की जाएगी।
-

जांचमेंपायागयाकीजनपदमेंलाभान्वितहोनेवाले 500 पेंशनलाभार्थियोंकाकंप्यूटरडेटाबेसतैयारनहींथा,फलत: समय-समयपर (वार्षिक) पेंशनर्सकीपात्रतातथाकिएगएसत्यापनरिपोर्टकीअद्यतनस्थितिइकाईकेपासअनुपलब्धथी तथायोग्यलाभार्थियोंद्वाराशर्तोंकाअनुपालनकीनिगरानीनहींहोरहाथा।पत्रांक 245/जि.प्रो.अधि./परित्यक्ता/अविवाहित/विक्षिप्त/2018-19 दिनांक 09/07/2018केअनुसारभरणपोषणअनुदानकीधनराशिऑनलाइनसीधेलाभार्थियोंकोखाते

मेंजमाकराएजानेकेनिर्देशकेबावजूदपेंशनकाभुगतानC.B.S.बैंकखातोंकेमाध्यमसेलाभार्थियोंकेखातेमेंपेंशनकीराशिजमाकराएजानेकाप्रकरणपायागया।

इसऔर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि निदेशक समाज कल्याण हल्द्वानी द्वारा डेटाबेस का रखरखाव वर्तमान में उपलब्ध नहीं है लेकिन भविष्य में इस योजना का डेटाबेस बनाए जाना गतिमान है।

इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया । इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थियों की स्थिति तथा शासकीय धन का सदुपयोग पर नजर रखने के लिए डेटाबेस का रखरखाव किया जाना जरूरी था परंतु त्वरित कार्यवाही नहीं होने के कारण वर्ष2015 से संशोधित नियमावली के तहत पेंशन वितरण में पारदर्शिता का अभाव पाया गया।

(ख) शासन के शासनादेश संख्या - 1747/XVII-02/20-19(05)2019 दिनाक - 11/02/20 के तहत विधवा पेंशन 40 वर्ष से 59 आयु तक के बीपीएल लाभार्थियो को केंद्र सरकार द्वारा र 200/ प्रति माह तथा राज्य सरकार द्वारा र 600/ मासिक पेंशन देय है । इसी प्रकार 18 वर्ष से 39 वर्ष तथा 60 वर्ष से अधिक आयु की बीपीएल श्रेणी के अतिरिक्त विधवा पेंशन के जिन लाभार्थियो की मासिक आय र 4000/ तक है ऐसे समस्त लाभार्थियो को राज्य सरकार द्वारा र 800.00 मासिक पेंशन देय है ।

सम्प्रेक्षा द्वारा **ज़िला परिवीक्षा अधिकारी देहरादून द्वारा** विधवा पेंशन मद से संबन्धित लेखा अभिलेखो की सम्प्रेक्षा जांच मे पाया गया कि विभाग द्वारा उक्त मद से संबन्धित बीपीएल लाभार्थियो एवं अन्य लाभार्थियो को विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए बजट के अनुसार सम्प्रेक्षा तिथि-07/2020 तक केंद्रान्श मद से संबन्धित कुल 548 लाभार्थियो को कुल र 4०852 लाख एवं राज्यान्श मद से संबन्धित कुल 20313 लाभार्थियो को र 800०893 लाख का भुगतान किया गया । आगे सम्प्रेक्षा जांच मे पाया गया कि लाभार्थियो द्वारा विभाग को प्रस्तुत किए गए प्रपत्रों मे लाभार्थियो का आधार कार्ड संख्या अंकित नहीं पायी गयी ।विभाग द्वारा विधवा पेंशन मद के अंतर्गत भुगतान किए गए प्रकरणो का उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या - XVII-02/16-01(02)/2010 दिनाक- 26/05/2016 के अनुपालन मे third party inspection/ verification रिपोर्ट पत्रावली मे नहीं पायी गयी । परिवार पंजिका मे जन्म तिथि का अंकन नहीं पाया गया विधवा पेंशन मद के अंतर्गत श्रीमति सलमा को जो वर्ष

2020-21 के अंतर्गत BPL श्रेणी से पेंशन का भुगतान किया गया के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रपत्रों मे आधारकार्ड , वोटर कार्ड, परिवार पंजिका एवं नामांकन(application form) मे जन्म तिथि त्रुटि पूर्ण पायी गयी जो लाभार्थि की पेंशन की पात्रता को संदिग्ध बनाती है ।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1:-आयकर की कटौती न कर रुपये 3174 की राजस्व हानि का प्रकरण पाया जाना।

As per provisions of section 194 c of income tax act- 1961 2% TAX shall be deducted at source on the sum paid or credit for carrying out work,when the bill amount exceeds ₹30000.00 के तहत suppliers को उनके बिल के भुगतान केपेक्ष 2% TDS कटोती अनिवार्य हें ।

कार्यालय ज़िला परिवीक्षा अधिकारी देहरादून केमशीन और सज्जा/उपकरण मद से संबन्धित लेखा अभिलेखो की सम्प्रेक्षा जांच मे पाया गया कि मशीन और सज्जा/उपकरण मद मे अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित या छोटे-छोटे टुकड़ो मे विभक्त किया गया ,तथा कुल आवश्यकता को आंकलित मूल्य के संदर्भ मे अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारियो की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए बिलो को छोटे-छोटे टुकड़ो मे विभक्त कर भुगतान किया गया । सम्प्रेक्षा द्वारा यह भी जांच कि गयी कि विभाग के सहायक कार्यालय - मुख्य परिवीक्षा अधिकारी देहरादून के बिलो मे आयकर अधिनियम -1961 का उल्लंघन कर र 30000.00 की धनराशि से कम आकलन कर स्वीकृत प्राधिकारी द्वारा बिलो को टुकड़ो -टुकड़ो मे अनुमोदित करके अल्प अवधि मे भुगतान किया गया (साक्ष्य के तौर पर -बिलक्रम संख्या -04 एवं 05) दिनाक -(12/01/20 एवं 13/01/20)।आगे सम्प्रेक्षा द्वारा जांच मे यह भी पाया गया कि विभाग द्वारा उक्त अवधि मे तय धनराशि र 25000.00 की धनराशि पर कोटेशन लेने से बचने के लिए बिलो की धनराशियों को छोटे-छोटे टुकड़ो मे विभक्त किया था । आगे सम्प्रेक्षा जांच मे यह भी पाया गया कि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उक्त पद पर कार्य करते हुए मुख्य परिवीक्षा अधिकारी कार्यालय के बिलो से उक्त संबधित मद मे आयकर की धनराशि र 3174.00 की 02% की कटोती किए बिना ही आपूर्तिकर्ताओ के बिलो का भुगतान किया

(साक्ष्यों के तौर पर बिल क्रम सं. 06 एवं 07 दिनांक 23.03.2019 एवं 24.03.2020)

बिलो का विवरण निमन्वत है :-

	विभाग का नाम	मद का नाम	इन्वाइस संख्या /दिनाक	आपूर्तिकर्ता का नाम	धनराशि (र)
01	राजकीय नारी निकेतन संस्था	मशीन और सज्जा/उपकरण	424/19/07/19	RIGHT CLICK	9054.14
02	-do-	-do-	491/08/11/19	-do-	20678.00
03	-do-	-do-	522/18/12/19	-do-	20744.00
04	-do-	-do-	540/12/01/20	-do-	21539.00
05	-do-	-do-	541/13/01/20	-do-	11905.00
06	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी कार्यालय	-do-	1262/23/03/19	HI-TECH SYSTEM	56000.00
07	-do-	-do-	22/24/03/20	SAI ENTERPRISES	102716.00
				योग	242636.14

इस सम्बंध मे विभाग से लेखा परीक्षा दल द्वारा पूछने/इंगित करने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर मे सम्प्रेक्षा को अवगत कराया कि भविष्य मेबिलो की धनराशि मे नियमानुसार आयकर की कटोती की जाएगी अतः बिलों की धनराशि में नियमानुसार आयकर कटौती धनराशि रुपये 3174/- न करने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता हैं।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर 1 से 4

STAN

प्रस्तर-1

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या/वर्ष	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
SS/101/2018-19	-	1,2,3	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या			अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	भाग-दो-अ	भाग-दो-ब	STAN			
SS/101/2018-19	-	1	1	अप्रस्तुत	अनुपालन आख्या के अभाव मे यथावत	यथावत

इकाई के द्वारा उत्तर दिया गया कि प्रस्तरों के निस्तारण हेतु अनुपालन आख्या महालेखाकर कार्यालय को प्रेषित करने हेतु निदेशक को दिसम्बर 2018 मे भेजा जा चुका है। पुनः निदेशक से संस्तुत कराकर लेखापरीक्षा कार्यालय को अग्रसारित किए जाएंगे।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

------शून्य-------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय जिला परिवीक्षा अधिकारी, देहरादून, उत्तराखंड** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः -शून्य
3. सतत् अनियमितताएः - शून्य
4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया था;

क्र. सं.	**नाम**	**पद नाम**	**अवधि**
01	श्रीमति मीना बिष्ट	जिला परिवीक्षा अधिकारी	08/2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय जिला परिवीक्षा अधिकारी, देहरादून, उत्तराखंड** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),उत्तराखंड, “महालेखाकार भवन”, कौलागढ़, देहरादून - पिन- 248195 को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/

AMG- I